कार्यालय जिला पचांयत डिण्डौरी
आम सूचना

कमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / 13 / डिण्डौरी दिनांक /7 / 2013

सर्व सधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पचायत दुल्लोपुर जनपद पचांयत बजाग अतर्गत श्री मलखू सिह पिता लल्लू सिह धुर्वे निवासी ग्राम दुल्लोपुर जनपद पचांयत बजाग तह0 व जिला डिण्डौरी की पचायत कर्मी पर नियुक्ति के संबध में मान0 न्यायालय कलेक्टर डिण्डौरी में दायर प्रकरण क्र0 / पचा / अपील / प्रक.क्र.16(अ–89–3–15) 08–09 मे श्री मलखू सिह बल्द लल्लू सिह धर्वे निवासी ग्राम दुल्लोपुर विरूद्व सरपंच ग्राम पचायत दुल्लोपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत बजाग एवं प्रहलाद दास बल्द पंचम दास पनिका पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत दुल्लोपुर के प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2009 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयत बजाग को निर्देशित किया गया था कि वे म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के द्वारा जारी परिपत्र क्र. पी.सी. / पंचा. / 4 / 2582 दिनांक 13.06.07 में दिये गये प्रावधान के तहत पात्रता / मैरिट के आधार पर पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे संबधित की अपील स्वीकार की गई ।

उक्त आदेश के विरूद्व श्री प्रहलाद दास टाडिया पंचायत कर्मी ग्राम पचायत दुल्लोपुर के द्वारा मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 206 / 2010 म0प्र0 शासन एवं अन्य के विरूद्व याचिका दायर की गई थी। मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण पर पारित आदेश दिनांक 17.7.12 के तहत संबधित की याचिका खारिज की गई है एवं मान0 न्यायालय कलेक्टर डिण्डौरी का आदेश स्थिर रखा गया है

उपरोक्त के परिपालन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र.. 6040 दिनांक 26.12.12 से जनपद पचांयत बजाग द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन चाहा गया था तदसंबध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचांयत बजाग के द्वारा अपने पत्र क्र.331 दिनांक 14.3.13 के द्वारा प्रस्तुत विवरण के साथ अवगत कराया गया है कि श्री प्रहलाद दास टाडिया पंचायत कर्मी सचिव ग्राम पंचायत दुल्लोपुर की नियुक्ति जनपद पचायत के आदेश क्र. 1113 दिनांक 04.08.12 के द्वारा निरस्त की जा कर म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के परिपत्र क्र. / एफ 2–12–22 पं. 1 / 95 दिनांक 12.9.1995 में दिये गये निर्देशो का पालन करते हुऐ मैरिट / पात्रता के आधार पर श्री मलखू सिह की नियुक्ति कार्यालयीन जनपद जनपद पंचायत के आदेश क्र0 1145 दिनांक 14.08.12 के द्वारा पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत दुल्लोपुर के रिक्त पद पर की गई है उक्त पद पर श्री मलखू सिह दिनांक 30.8.12 को कार्य पर उपस्थित हो चुके है

अतः श्री मलखू सिह धुर्वे पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत दुल्लोपुर को म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत ग्राम पंचायत दुल्लोपुर जनपद पंचातय बजाग का सचिव घोषित किया जाना है ।

उपरोक्त के संबध में यदि किसी को दावा आपत्ति की जाना है तो जाहीर अम सूचना के दिनांक से 07 दिवस के अदंर कार्यालयीन समय पर दावा आपत्ति जिला पचांयत कार्यालय में किया जा सकता है । अन्यथा यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नही है एवं श्री मल्खू सिह पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत दुल्लोपुर जनपद पंचायत बजाग को कलेक्टर जिला डिण्डौरी के द्वारा सचिव घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. द्वारा अनुमोदित)

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी

कमांक / पंचा.प्रको. / जि.पं. / .13 / 5184 डिण्डौरी दिनांक 22 / 7 / 2013

प्रतिलिपि

1 कलेक्टर जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2. जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र डिण्डौरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि एनआईसी की बेवसाइट में पत्र अपलोड करने का कष्ट करें।

3 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला डिण्डौरी की ओर सूचानार्थ एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु ।

परियोजना अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी